लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462023

क्रमांक / अतिथि शिक्षक / 2026-27 / 33 **भोपाल, दिनांक** 16-9-2026

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषय:- अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- 1- संचालनालय का पत्र क्र./1582 भोपाल दिनांक 15.05.2019।

2- संचालनालय का पत्र क्र./3852 भोपाल दिनांक 22.11.2019।

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने एवं मानदेय भुगतान के उपरांत नियमानुसार अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे। कतिपय आवेदकों द्वारा सी. एम. हेल्पलाइन दर्ज की गई है,कि निर्धारित समयसीमा अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है।

उक्त परिपेक्ष्य में समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरण जिनमे नियमानुसार अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही की गई है, किन्तु पोर्टल से मानदेय जनरेट नहीं होने से अतिथि शिक्षक अनुभव क्लेम नहीं कर पा रहे है, ऐसे आवेदकों के अनुभव क्लेम जारी करने की सुविधा BEO के लॉग इन पर उपलब्ध कराई गई है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी संलग्न प्रक्रिया परिशिष्ट -1 अनुसार पात्र आवेदकों के अनुभव क्लेम की कार्यवाही पोर्टल पर तत्काल करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कार्यवाही तत्काल कर सी. एम. हेल्पलाइन प्रकरणों को बंद कराना सुनिश्चित कराए।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संचालक
लोक शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्र./अतिथि शिक्षक/2026-27/ 34

भोपाल, दिनांक 16-9-2026

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र।
2. सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र।
3. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. महाप्रबंधक निक्सी , सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
5. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।

संचालक
लोक शिक्षा, मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट -1

1. आवेदक संलग्न प्रपत्र-1 में अपनी जानकारी दस्तावेज के साथ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्तिथ होकर प्रस्तुत करें।
2. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर क्लेम की जानकारी दर्ज करने हेतु निम्नानुसार दस्तावेज के परीक्षण उपरांत पोर्टल पर जानकारी दर्ज करेंगे-
   - आवेदक का कार्यरत संस्था में कार्यरत सत्र का उपस्थिति पंजी अभिलेख।
   - विद्यालय में अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की कार्यवाही विवरण।
   - शाला प्रभारी द्वारा प्रमाणित मासिक उपस्तिथि विवरण।
   - अतिथि शिक्षक के मानदेय भुगतान का विवरण।
3. अनुभव क्लेम हेतु जानकरी दर्ज करने के उपरांत अनुभव क्लेम आवेदक के लॉग इन पर प्रदर्शित होगा।
4. आवेदक अपने लॉग इन पर प्रदर्शित अनुभव क्लेम का प्रिंट निकालकर शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य से प्रमाणीकरण करायेंगे।
5. प्रमाणीकरण उपरांत संकुल प्राचार्य पोर्टल पर कार्यदिवसों का परीक्षण कर जानकारी लॉक करेंगे एवं जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
6. जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षण उपरांत तत्काल डिजिटल हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

<<< उपस्थिति सत्यापन पत्रक >>>

(भरे हुए सत्यापित प्रपत्र को अभिलेख के रूप में नस्ती में संधारित करें)

सत्र :-

विद्यालय का DISE Code :-

विद्यालय का नाम :-

कार्यरत पेनल का नाम :-

अतिथि शिक्षक का नाम (पोर्टल में उपलब्ध विवरण के अनुसार)

अतिथि शिक्षक की Guest ID 3.0:-	
अतिथि शिक्षक का नाम :-	

अतिथि शिक्षक की जानकारी (आधार के अनुसार)

आधार नम्बर :-	
नाम :-	

सत्र में एजुकेशन पोर्टल में लॉक किये गये मानदेय देयक का विवरण

क्र.	पद जिसके विरूद्ध	माह	संस्था प्रमुख के अनुसार कार्यदिवस	संकुल प्राचार्य के अनुसार कार्यदिवस
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

आवेदक का प्रमाण-पत्र - प्रमाणित किया जाता है, कि मेरे द्वारा GFMS पोर्टल में उपस्थिति पत्रक निकालने का प्रयास किया गया किन्तु उक्त सत्र की व्यवस्था पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। उक्त जानकारी सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख का सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है, कि अतिथि शिक्षक की शाला में उपस्थिति दिवस का सत्यापन शाला अभिलेख में (उपस्थिति पंजी) से कर लिया गया है।

दिनांक :- संस्था प्रमुख का नाम एवं यूनिक आई.डी.:- **हस्ताक्षर :-**

संकुल प्राचार्य का सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि, शाला में उपस्थित दिवस का सत्यापन मानदेय भुगतान देयक से कर लिया गया है।

विद्यालय:- संकुल प्राचार्य का नाम एवं यूनिक आई.डी.:- **मुहर/हस्ताक्षर :-**

Scanned with OKEN Scanner